न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़
पीठासीन अधिकारीः— चन्द्रशेखर भण्डारी, RAS

प्रकरण सं0 142/2019 प्रार्थना पत्र

श्री जगदीश पिता मोहनलाल जी जाति अहीर उम्र 44 वर्ष निवासी मेलाना तह0 निम्बाहेडा राज0 ....प्रार्थी

/बनाम/

1. बालुलाल पिता प्रभूलाल जी जाति धाकड उम्र 80 वर्ष निवासी मेलाना तह0निम्बाहेडा राज0
2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा राज0

.............विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा0ले0रे0एक्ट</u>
<u>बाबत् राजस्व नक्शे में इन्द्राज दुरूस्ती</u>
<u>//आदेश//</u>

दिनांक 31-5-2022

उपस्थितः— प्रार्थीगण की और सेः— अधिवक्ता श्री रामेश्वरलाल धाकड
विपक्षी सं0 1 की और सेः— स्वयं उपस्थित
विपक्षी सं0 2 की और से :— स्वयं उपस्थित

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.ले.रे.एक्ट विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय का पेश किया कि वाके मोजा मेलाना प0ह0 मेलाना तह0निम्बाहेडा में गत सेटलमेन्ट अनुसार साबिक आराजी नं0 273 रकबा 1 बिघा 2 बिस्वा लगानी 0.19 रूपये स्थित हैं, जिसके नवीन सेटलमेन्ट अनुसार आ0नं0 425 रकबा 0.2400 हेक्टर हैं। पुष्टि में नकल वर्तमान एवं गत सेटलमेन्ट की जमाबंदीयॉ एवं मिलान क्षैत्रफल की प्रमाणित प्रतिलीपीयॉ पेश हैं।

उपरौक्त वर्णित आराजी प्रार्थी खातेदार ने विपक्षी सं01 से जरिये पंजीकृत विक्रय विलख दिनांक 02.11.2007 से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया, जिसके आधार पर राजस्व रेकार्ड में नामान्तरकरण सं0 1989 दिनांक 21.01.2008 से आ0नं0 273 रकवा 1 विघा 2 विस्वा जमीन में प्रार्थी का नाम रेकार्ड में दर्ज हुआ।

इसके वाद जैसे ही नवीन सेटलमेन्ट के बाद जमाबंदी रोटेशन में नाम चढाया गया तव उक्त आराजी नं0 273 जिसका नवीन आ0नं0 425 रकबा 0.2400 हेक्टेयर हैं, वह पुनः विपक्षी वालुलाल धाकड के नाम पर जमाबंदी में दर्ज कर दी एवं इस आराजी के एवज में प्रार्थी के नाम पर विपक्षी वालुलाल की अन्य आराजी नं0 817 रकवा 1 विघा 10 विस्वा, जिसके नवीन आ0नं0 1102 रकबा 0.3300 हेक्टेयर दर्ज कर दी जो गलत हैं।

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

विपक्षी सं01 ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अनुसार आराजी नं0 273 रकबा 1 बिघा 2 बिस्वा भूमि ही प्रार्थी को विक्रय की, और उसके आधार पर नामान्तरकरण खोला गया जो सही खोला गया था, और रोटेशन की जमाबंदी संवत 2057 से 2060 में भी विक्रयपत्र के आधार पर उक्त आराजी प्रार्थी के नाम पर दर्ज करने का इन्द्राज किया हुआ हैं, परन्तु उसके बाद रोटेशन बदला तो उक्त विक्रयशुदा आराजी नं0 273 जिसके नवीन आ0नं0 425 रकबा 0.2400 हेक्टेयर पुनः विपक्षी के नाम पर दर्ज कर दी एवं इसके एवज में विपक्षी की अन्य खातेदारी की आराजी नं0 817 रकबा 1 बिघा 10 बिस्वा जिसके नवीन आ0नं0 1102 रकबा 0.3300 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम पर त्रुटीवश दर्ज कर दी, इसलिये उक्त इन्द्राज को दुरूस्त करते हुए पुनः प्रार्थी के नाम पर आराजी नं0 425 रकबा 0.2400 हेक्टेयर भूमि दर्ज की जावे एवं विपक्षी के नाम पर पुनः आ0नं0 1102 रकबा 0.3300 हेक्टेयर भूमि दर्ज की जाकर इन्द्राज दुरूस्त किया जाना आवश्यक हैं।

अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम पर गलत तौर से दर्ज हुई आराजी नं0 1102 रकबा 0.3300 हेक्टेयर भूमि का इन्द्राज दुरूस्त किया जाकर उक्त भूमि विपक्षी के नाम पर दर्ज की जावे एवं प्रार्थी के नाम पर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अनुसार नवीन आराजी नं0 425 रकबा 0.2400 हेक्टेयर भूमि दर्ज कराई जाकर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त कराने की कृपा करावे।

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी सं0 1 बाद तामिल न्यायालय में वक्त पेशी उपस्थित हुआ एवं विपक्षी सं0 2 ने वक्त पेशी उपस्थिति दर्ज कराई।

हमने बहस वकील प्रार्थी सुनी पत्रावली का अवलोकन किया, प्रस्तुत दस्तावेजात नकल जमाबंदीया एवं खसरा गिरदावरी, मिलान क्षैत्रफल व पटवारी हल्का व भूअभिलेख निरीक्षक की जॉच रिपोर्ट का अवलोकन किया, प्रार्थी ने मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतू प्रार्थना पत्र पेश किया जो स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेडा को कमिश्नर नियुक्त कर जांच रिपोर्ट मंगवाने हेतू आदेशित किया। जिसकी पालना में तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त सरसी को जांच रिपोर्ट बनाकर पेश करने हेतू आदेशित किया जिसकी पालना में भू अभिलेख निरीक्षक सरसी एवं पटवारी हल्का मेलाना द्वारा तहसीलदार निम्बाहेडा के समक्ष जांच रिपोर्ट दिनांक 23.07.2021 को बना कर प्रस्तुत की गई, जिसमें भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा राजस्व रेकार्ड की सम्पूर्ण जॉच कर मौका रिपोर्ट बनाई गई जिसके अनुसार नवीन प्रविष्टी एवं जो शुद्ध किया जाना हैं। प्रस्तावित प्रविष्ठी अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज मोजा मेलाना की आ0नं0 1102 रकबा 0.33 हेक्टैयर अप्रार्थी बालुलाल के नाम दर्ज की जावे एवं आ0नं0 425 रकबा 0.24 हेक्टेयर प्रार्थी जगदीश के नाम दर्ज किये जाने राजस्व नक्शे में निम्नानुसार संशोधन करने का आदेश दिया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा (चित्तौड़गढ़)

नवीन प्रविष्टी	जो शुद्ध किया जाता हैं, उसकी प्रस्तावित प्रविष्टी
श्री जगदीश पिता मोहनलाल अहीर सा0 देह खातेदार आ0नं0 1102 रकबा 0.33 हेक्टेयर लगान 13.86 रूपये	श्री बालुलाल पिता प्रभूलाल धाकड सा0 देह खातेदार आ0नं0 1102 रकबा 0.33 हेक्टैयर लगान 13.86 रूपये
श्री बालुलाल पिता प्रभूलाल धाकड सा0 देह खातेदार आ0नं0425 रकबा 0.24 हेक्टैयर	श्री जगदीश पिता मोहनलाल अहीर सा0 देह खातेदार आ0नं0 425 रकबा 0.24 हेक्टर

उपर्युक्तानुसार एवं संलग्न नक्शा ट्रेस में प्रदर्शित अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामत किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2022 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा